relief and assistance to senior citizens including provision of old age pension for destitute older persons, travel related concessions, old age homes, day care centres and mobile medicare units. The formulation of a National Policy for Older Persons is also under consideration of the Government.

कच्छ को जनजाति क्षेत्र घोषित करने संबंधी अध्यादेश

91. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** :

श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूरे कच्छ क्षेत्र को उक्त श्रेणी में रखने के लिए कोई अध्यादेश जारी किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की देखभाल

92. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की देखभाल और उन्हे स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाने जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार किन उपायों के जरिए मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 संसद द्वारा पारित किया गया हैं जो विकलांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण की देखभाल करता हैं। मंत्रिमंडल ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने का अनुमोदन किया हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के कल्याण के लिए प्रावधान होगा।

वरिष्ठ नागरिको के लिए कार्यक्रम

93. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी हैं कि 60 वर्ष से उपर आयु वाले लोगो की संख्या पिछले एक दशक से दुगुनी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी हैं; और

(ग) वृद्व पुरूषों और महिलाओं के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति-व्यक्तियों की संख्या 1981 के 43.16 मिलियन से बढ़ कर 1991 में 56.68 मिलियन हो गई हैं। हालांकि वर्ष 1981 में 60 वर्ष की आयु से ऊपर की महिलाओं की संख्या 21.14 मिलियन थी। वर्ष 1991 में उनकी संख्या बढ़कर 27.31 मिलियन हो गई। वृद्व व्यक्तियों के लिए सरकार चल रहे कार्यक्रमों में निराश्रित वृद्व व्यक्तियों के लिए वृद्वावस्था पेंशन, यात्रा से संबंधित रियायतें, वृद्वावस्था गृह, दिवा देखभाल केन्द्र तथा चलता फिरता चिकित्सा एकक का प्रावधान शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में वृद्व पुरूष तथा महिलाएं दोनों शामिल हैं।

Assistance to NGOs in Assam

94. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the quantum of assistance provided to the voluntary organisations and NGOs functioning at present in the State of Assam during the last three years and till date, NGO-wise, year-wise;

(b) whether it is a fact that some applications for releasing the funds to NGOs in Assam are pending for the last three years;

(c) if so, the specific reasons therefor; and

(d) the concrete steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Workshop on disabilities Act, 1966

95. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether a two-day workshop on implementation of the Disabilities Act, 1966 and to review the progress made therein was held on 5th October. 1998 in New Delhi:

(b) if so. whether any action plan for implementation of the Act for the next two years was evolved as a result thereof; and

(c) the details thereof, especially with respect to the mentally disabled persons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MANEKA GANDHI): (a) No such workshop was organized by this Ministry.

(b) and (c) Do not arise.

Misuse of grants by NGOs

96. SHRI BHAGBAN MAJHI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the misuse of grants by NGOs in various States;

(b) if so, the NGOs who have been found to have misused the grants, State-wise;

(c) the steps taken to stop the misuse of grants by NGOs; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT(SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मणिपुर,त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में परियोजनाएं

97. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा हैं,

(ख) परियोजनाओं की कुल लागत कितनी हैं,

(ग) क्या निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमति मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश में किसी परियोजाओं का कार्यान्वयन नहीं कर रहा हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

National Policy on Elder Persons

98. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce 'National Policy on Elder Persons';

(b) whether policy-draft has been prepared and finalised;

(c) whether State Governments have been associated in framing the policy; and

(d) the broad outlines of the policy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (d) A National Policy for Older Persons is under consideration of the Government based upon consultations with different Departments of the Central Government, various State Governments and Union Territory Administrations as well as experts in the field. The policy will seek to ensure the well being of older persons by attending to their financial security, health care, shelter, welfare and other developmental needs.